



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.in>, E-mail: info@upavp.com

भूखण्ड/दुकानें/आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का नीलामी सूचना

नीलामी तिथि- 15.02.2018 समय: प्रातः-11:00 बजे

स्थल:- कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध, आफिस काम्पलेक्स, अंगूरीबाग, फैजाबाद

सम्पत्तियों का प्रकार/संख्या	कुल संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमी० में)	आरक्षित दर (प्रति वर्ग मी०)	अनुमानित मूल्य (रु० लाख में)	टोकन/पंजीकरण धनराशि (लाख में)
डोमरौली योजना, मिर्जापुर					
अनावासीय भूखण्ड सं०-सी०पी०-114/1 (अनारक्षित)	01	76.29	20832.00	-	1.59
अनावासीय भूखण्ड सं०-सी०पी०-114/3 (अनारक्षित)	01	77.34	20832.00	-	1.62
शाहपुर योजना संख्या-2/3, गोरखपुर					
दुकानें-LGFS-6,7 (अनारक्षित)	02	9.922	-	11.92 प्रति नग	1.20
दुकानें- LGFS-5,8,9,10,11 (अनारक्षित)	05	9.633	-	11.57 प्रति नग	1.16
तहसील हरैया, बाम्बे योजना, बस्ती					
आवासीय भवन 22 नगर 15/25 प्रकार बी०पी०एल० कार्डधारकों हेतु।	22	25.00	-	0.40 प्रति नग	0.05 लाटरी द्वारा
अवधपुरी योजना, फैजाबाद					
कियोस्क के-3 (अनारक्षित)	01	4.00	-	1.80 प्रति नग	0.18 प्रति नग
प्लेट फार्म पी-3 एवं पी-4 (अनारक्षित)	02	2.00	-	1.00 प्रति नग	0.10 प्रति नग
व्यव०भू०-1341/1	01	100.65	21840.00	21.98	2.20
भरतपुरी योजना, गोण्डा					
भवन सं०- एल०आई०जी०-343 (सामान्य श्रेणी)	01	60.59	803000.00	-	41500.00

नोट:-

तहसील हरैया, जनपद बस्ती के अंतर्गत निर्मित भवनों के लाभार्थियों की सूची अधिशासी अभियन्ता डूडा बस्ती द्वारा प्रेषित करने पर सूची में अंकित व्यक्तियों के (बी०पी०एल० कार्ड धारक) के मध्य आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। शासन द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि रु०- 5000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् बस्ती के नाम देय हो, आवंटन हेतु आवेदन पत्र के साथ बी०पी०एल० कार्ड/राशन कार्ड की छायाप्रति, नाम, पता, हस्ताक्षर सहित प्रमाणित फोटो निर्धारित आवंटन से एक दिन पहले सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, बी-60, सूरजकुण्ड, गोरखपुर में जमा करना आवश्यक होगा।

सामान्य सूचना :-

(1) समस्त सम्पत्तियों की आवंटन/नीलामी शासनदेश/परिषद् आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जाएगा। (2) सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सीलड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु०- 100.00 जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (3) आवासीय सम्पत्ति के मूल्य का 5% एवं अनावासीय सम्पत्तियों में सम्पत्ति के मूल्य का 10% धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो 'उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ नीलामी तिथि में भाग ले सकते हैं अथवा नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व सीलड बिड के साथ जमा करना होगा। (4) शैक्षणिक भूखण्डों हेतु पुस्तिका सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, भरतपुरी योजना, गोण्डा से रु०-1000.00 में क्रय कर विज्ञापन प्रकाशन तिथि से एक माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रु०- 5000.00 सहित जो 'उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्' को देय होगा, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, गोण्डा में जमा करना होगा। (5) सम्पत्ति आवंटन/नीलामी नियम शर्तें एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद् की वेबसाईट : <http://www.upavp.in> से प्राप्त की जा सकती हैं।

आवास आयुक्त